राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : मुसप्र / 2021 / 618 दिनांक : 28/9/21

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा ''मुख्यमन्त्री जन आवास योजना'' के अन्तर्गत प्रस्तावित बहुमंजिले फ्लेट्स के आवण्टन हेतु दिनांक 01 सितम्बर' 2021 से प्रारम्भ की गई पंजीकरण योजना की पंजीकरण पुस्तिका में अंकित पंजीकरण राशि का पुनर्भुगतान/समायोजन नहीं किये जाने सम्बन्धी प्रावधान में आंशिक संशोधन करते हुए, मण्डल की अन्य पंजीकरण योजनाओं के अनुरूप ही वरीयता लॉटरी में असफल रहे आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग के आवेदकों को उनकी मूल पंजीकरण राशि रू. 2,000/– तथा अल्प आयवर्ग के आवेदकों को रू. 3,500/– रिफण्ड करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। समान रूप से योजना के लाभार्थियों की मूल पंजीकरण राशि मण्डल नियमानुसार आवण्टित फ्लेट की लागत में समायोजित की जावेगी। यह आंशिक संशोधन वर्तमान में प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन आवास योजनाओं के पंजीकरण योजनाओं पर ही लागू होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपी सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव–माननीय अध्यक्ष महोदय/आवासन आयुक्त, रा0आ0मं0, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, रा0आ0मं0, जयपुर।
3. निजी सचिव–सचिव/वित्तीय सलाहकार, रा0आ0मं0, जयपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/निदेशक विधि, रा0आ0मं0, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0आ0मं0, जयपुर/जोधपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, रा0आ0मं0, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), रा0आ0मं0, जयपुर।
8. उप आवासन आयुक्त, रा0आ0मं0, वृत्त ————————————(समस्त).
9. आवासीय अभियन्ता, रा0आ0मं0, खण्ड ——————————(समस्त खण्ड).
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक